GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
*****

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1050

ANSWERED ON TUESDAY, 29 JULY, 2025/ SRAVANA 7, 1947 (SAKA)

RETIRED EMPLOYEES ELIGIBLE FOR ADDITIONAL BENIFITS UNDER UPS

1050. # SHRI GHANSHYAM TIWARI
SHRI BRIJ LAL
SHRI MAYANKKUMAR NAYAK

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total number of retired subscribers of Central Government eligible to claim additional benefits under the Unified Pension Scheme (UPS);
(b) the number of claims received and processed so far under the UPS since its introduction;
(c) whether the Ministry has plans to extend similar benefits to other pension schemes or sectors in the near future; and
(d) if so, the details thereof

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) As per eligibility criteria, there are 25,756 retired Central Government subscribers eligible to receive additional benefits under Unified Pension Scheme (UPS).

(b) As on 20th July, 2025, 7,253 claims have been received and out of which 4,978 claims have been processed for payment of benefits under UPS.

(c) & (d) UPS has been introduced as an option under National Pension System (NPS) for the employees of Central Government who are covered under the NPS. There is no proposal under consideration to extend such benefits to other pension schemes or sectors.

****

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1050

जिसका उत्तर मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी

1050. **श्री घनश्याम तिवाड़ी:**
श्री बृज लाल:
श्री मयंककुमार नायक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के पात्र सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी अंशधारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) यूपीएस की शुरूआत के बाद से अब तक कितने दावे प्राप्त हुए हैं और कितने दावों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय की निकट भविष्य में अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों को भी इसी प्रकार के लाभ प्रदान करने की योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पात्रता संबंधी मानदण्डों के अनुसार, केन्द्र सरकार के 25,756 सेवानिवृत्त अभिदाता एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख): 20 जुलाई**,** 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4,978 दावों पर यूपीएस के अंतर्गत लाभों के भुगतान के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ): एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया है। अन्य पेंशन योजनाओं अथवा क्षेत्रों को ऐसे लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

:_: www.staffnews.in :_: